

आदेश पारित द्वारा राजेश कुमार खरे (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल

—00—

आदेश/क्रमांक/माचि/27

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/माचि/87 दिनांक 03/03/2023 द्वारा सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी - इंदौर नवीन BG रेल्वे लाईन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 24.920 हेक्टेयर वनभूमि, के बदले में ग्राम शिकारपुर परिक्षेत्र सीहोर, बीट बमूलिया के कक्ष क्रमांक आर एफ 33 में चयनित 50.000 हेक्टेयर दुगने बिगड़े वनक्षेत्र पर, क्षतिपूर्ति वनीकरण करने हेतु तकनीकी स्वीकृति जारी की गई हैं।

प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1346/2023/10-11/5930 दिनांक 12/12/2024 से प्राप्त निर्देश एवं वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल सीहोर के पत्र क्रमांक/माचि/77 दिनांक 10/01/2025 के तारतम्य में, जारी की गई उक्त तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाती हैं।

(राजेश कुमार खरे)

मुख्य वनसंरक्षक

भोपाल वृत्त, भोपाल

आदेश/क्रमांक/माचि/28

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14/07/2022 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी - इंदौर नवीन BG रेल्वे लाईन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 24.920 हेक्टेयर वनभूमि, के बदले में जिला सीहोर, तहसील जावर में प्राप्त कुल 54.633 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1346/2023/10-11/5930 दिनांक 12/12/2024 से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल सीहोर के पत्र क्रमांक/माचि/77 दिनांक 10/01/2024 द्वारा प्रस्तुत स्थल विशेष की 11 वर्षीय (वर्ष 2026-27 से 2036-37 तक) वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, कुल राशि रुपये 1,89,60,974/- की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के तहत जारी की जाती है:-

परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं की गई हैं। पर्यवेक्षण शुल्क की राशि, नियमानुसार पृथक से ली जायेगी।

परिक्षेत्र/तहसील	बीट/ ग्राम	वनकक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	चयनित रकबा है.में	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र (हे.में)	वै 0 वृ.रो. योजना की कुल राशि
जावर	गुन्जारी	ख.क्र. 86 में से	11.938	50.00	18960974.00
जावर	आमलामज्जू	ख.क्र. 1/1 में से	21.570		
जावर	भाऊखेड़ा	ख.क्र. 378 में से	21.125		
		योग	54.633	50.00	18960974.00

शर्त:-

- उक्त कार्य में भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावे एवं बजट आवंटन से अधिक व्यय न किया जावे।
- कार्य श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला हो एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो।
- चयनित स्थल किसी अन्य योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो, इसका ध्यान रखा जावे, इसकी जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी।
- समस्त वानिकी कार्य अनुमोदित जाब दर अनुसार ही कराया जावे। जिन वानिकी कार्यों के जाब दर अपर प्रधान मु.व.सं. विकास अथवा इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। ऐसे समस्त कार्यों के दर वृत्त स्तरीय समिति से अनुमोदित करावे एवं तकनीकी स्वीकृति में दर्शाई राशि की त्रुटिविहीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करें। तदुपरांत ही कार्य प्रारम्भ करें।
- वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित की जावे एवं जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रति वर्ष माह मई एवं अक्टूबर की स्थिति में कराई जावे।
- योजना में उल्लेखित सी.बी.ओ. से प्राप्त पौधों, क्षेत्र में पूर्व से उपलब्ध वृक्षों तथा क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधों तथा रोपण से प्राप्त पौधों के पृथक पृथक अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/ रोपण आदि) नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- वृक्षारोपण पंजी में समय समय पर (हर तीन माह में) कराये गये कार्य के अद्यतन छायाचित्र व कार्य संपादन के हर बिंदुओं का विवरण इंड्राज किया जाना आवश्यक है।
- प्रकरण में प्रचलित कार्य आयोजना क्रियान्वयन के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- प्रधान मु0व0सं0 एवं वनबल प्रमुख म.प्र. भोपाल तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(राजेश कुमार खरे)

मुख्य वनसंरक्षक

भोपाल वृत्त, भोपाल

पृ.क्रमांक/माचि/344
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

1. महालेखाकार म.प्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर अनुमोदित योजना की छायाप्रति, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
4. वनमंडलाधिकारी सा0 वन मंडल सीहोर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/77 दिनांक 10/01/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-13/स्थापना/2023/10-11/5201 दिनांक 07/12/23 से प्राप्त मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-25/36/2005/10-3/ 2002 दिनांक 9/10 अक्टूबर 2023 से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जारी की गई तकनीकी स्वीकृति में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं की गई है। परियोजना में, प्रथम चरण की स्वीकृति उपरांत मांग पत्र जारी करते समय, पर्यवेक्षण शुल्क की राशि, नियमानुसार पृथक से आवेदक संस्था से जमा करवाना सुनिश्चित करे।


मुख्य वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

वन परिक्षेत्र आष्टा, वनमण्डल सीहोर (आ०)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित 24.920 हेक्टर भूमि के बदले कलेक्टर जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/0035/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल 54.633 हेक्टर प्राप्त गैर वनभूमि पर

कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत

वृक्षारोपण वर्ष 2026-27

- | | | |
|------------------------|---|------------------------------|
| 1. वनमंडल | - | सीहोर |
| 2. परिक्षेत्र | - | आष्टा |
| 3. ग्राम पंचायत का नाम | - | रूपेटा |
| 4. ग्राम का नाम | - | गुन्जारी, आमलामज्जू भाऊखेड़ा |
| 5. खसरा नंबर | - | 86, 1/1 एवं 378 |
| 6. रकबा | - | 54.633 हेक्टर |
| 7. वृक्षारोपण का रकबा | - | 50.000 हेक्टर |
| 8. परियोजना की अवधि | - | वर्ष 2026-27 से 2036-37 तक |
| 9. अक्षांश/देशांश | - | N-22°57'48" E- 76°34'45" |

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित 24.920 हैक्टर भूमि के बदले कलेक्टर जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/0035/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हैक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हैक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हैक्टर कुल 54.633 हैक्टर प्राप्त गैर वनभूमि पर

वृक्षारोपण वर्ष 2026-27

क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

प्रस्तावित क्षेत्र परिक्षेत्र आष्टा अन्तर्गत गुन्जारी ख.न. 86 रकबा 11.938 हैक्टर, आमलामज्जू ख.न. 1/1 रकबा 21.570 हैक्टर एवं भाऊखेड़ा ख.नं. 378 रकबा 21.125 हैक्टर कुल रकबा 54.633 हैक्टर में स्थित है, जो अधिकांश क्षेत्र समतल है क्षेत्र की जल धारण क्षमता मध्यम है, जैविक दबाव अधिक के कारण विकसित नहीं हो पा रही है, क्षेत्र में जगह-जगह पुर्नउत्पादन एवं सामान्य जड़ भंडार है मिश्रित प्रजाति के स्थूल प्ररोह अस्थापित अवस्था में है कहीं-कहीं लघुवनोपज के रूप में तेन्दू व महुआ के पौधे उपलब्ध हैं। साथ ही क्षेत्र में कुछ मात्रा में सागौन के वृक्ष भी हैं।

योजना का उद्देश्य

परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि में कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत आवंटित क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न उपचार कार्यों को कार्यायोजना के अनुरूप प्रस्तावित कर उपरोक्त क्षेत्र में वृक्ष अक्षादित क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, जैविक दबाव में कमी करना, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, क्षेत्र में जैव-विविधता का संरक्षण करना, मृदा एवं भू-जल संरक्षण करना, पुर्नउत्पादन को सुरक्षित कर स्थायी पौध में रूपांतरित करना एवं बेहतर वनोपज प्रबंधन करना सुनिश्चित किया जावेगा। योजनान्तर्गत ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध कराना।

प्रस्तावित क्षेत्र का उपचारण

1. झाड़ियों में वृक्ष प्रजाति की अग्रिम पौध ढकी होने से पौधों को प्रकाश एवं हवा न मिलने से बढ़ नहीं पाती है। अतः अच्छी प्रजाति की अग्रिम पौध को विकसित होने हेतु अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध करना।
2. प्रस्तावित क्षेत्र के चारो ओर चैनलिंग फेंसिंग कर क्षेत्र को सुरक्षित रखना।
3. प्रस्तावित क्षेत्र में भू-जल संरक्षण अन्तर्गत चैक डैम, कंदूर, परकूलेशन टैंक का निर्माण करना, जिससे पौधों को आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध हो व भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके।
4. क्षेत्र में पायी जाने वाली प्रजातियों जैसे सागौन, महुआ, साज एवं पलाश के संरक्षण के साथ साथ क्षेत्र में बांस, बहेड़ा, बेल, आंवला, नीम, जामुन, शिरस एवं अन्य प्रमुख प्रजातियों से क्षेत्र में रोपण करना।

वन परिक्षेत्राधिकार
वन परिक्षेत्र आष्टा

-: प्रोजेक्ट रिपोर्ट :-

परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित 24.920 हेक्टर भूमि के बदले कलेक्टर जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/0035/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल 54.633 हेक्टर प्राप्त गैर वनभूमि पर कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण

वन मण्डल :- सीहोर

खसरा क्रं. :- गुन्जारी ख.न. 86 रकबा 11.938 हेक्टर, आमलामज्जू ख.न. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं भाऊखेड़ा ख.नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल रकबा 54.633

अक्षांश :- N-22°57'48"

वन परिक्षेत्र :- आष्टा (सांठ)

ग्राम का नाम :- गुन्जारी, आमलामज्जू एवं भाऊखेड़ा

रकबा 54.633 है०

देशांश :- E- 76°34'45"

दर प्रति दिवस	473.00	
वृक्षारोपण घेराव क्षेत्र	54.633	हेक्टर
रोपण क्षेत्र	50.000	हेक्टर

प्रथम वर्ष 2026-27

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	54.633	ha	0.45	हे०	25	11629	जॉबदर
2	क्षेत्र सफाई क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियां (लैंटाना छोड़कर) एवं खकरी कटाई (20 से.मी. से नीचे) एकत्रित करना जलाना	42	ha	4.00	प्रति हे०	168	79464	जॉबदर
3	विद्युत पौध कटाई 20 से.मी. से कम	8	ha	1.20	प्रति हे०	10	4541	जॉबदर
4	गड्ढे खुदाई हेतु स्टेकिंग कार्य	50000	गड्ढा	2.50	प्रति हजार	125	59125	जॉबदर
5	गड्ढे खुदाई कार्य 0.30x0.30x0.30 से.मी. अन्तराल 2X3 मी.	30000	गड्ढा	3.00	प्रति सौ	900	425700	जॉबदर
6	गड्ढे खुदाई कार्य 0.45x0.45x0.45 से.मी. अन्तराल 4x4 मी., 3x3 मी.	20000	गड्ढा	5.00	प्रति सौ	1000	473000	जॉबदर
गड्ढों की फिलिंग कार्य :-								
4	गोबर खाद क्रय : 15 प्रतिशत (घ०मी० में) चयनित क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी की गहराई औसतन 45 से.मी. है, क्षेत्र गुरमी पत्थरीला है जिस कारण से अधिकांश क्षेत्र में मिट्टी के साथ गोबर खाद का बदलाव जरूरी है।	395.00	घ.मी.	3.00	प्रति घ.मी.	1185	560505	जॉबदर
5	उपजाऊ मिट्टी संग्रहण : 10 प्रतिशत (घ०मी० में) चयनित क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी की गहराई औसतन 45 से.मी. है, क्षेत्र गुरमी पत्थरीला है जिस कारण से अधिकांश क्षेत्र में मिट्टी का बदलाव जरूरी है।	263.00	घ.मी.	1.50	प्रति घ.मी.	395	186599	जॉबदर
6	गड्ढों में कीटनाशक गोबर खाद मिश्रित कर मिट्टी बदलना	50000	गड्ढा	1.50	प्रति सौ	750	354750	जॉबदर
7	वृक्षारोपण क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित करने उपरांत निरीक्षण पथ निर्माण हेतु गुरुम और बोल्डर का भराव कर पथ को समतल बनाना					250	118250	
8	अन्य व्यय (लोहे के एंगल वाला सूचना बोर्ड, पेंट, चूना, रस्सी आदि)	—				90	42570	
क्षेत्र तैयारी कार्य योग						4897	2316132	
वृक्षारोपण की फेंसिंग कार्य :-				5170	RM			
9	गड्ढा खुदाई स्टेकिंग फेंसिंग पोलस हेतु 20 प्रतिशत सर्पोटिंग पोलस सहित (अंतराल 3X3 M)	2068	पोल्स	2.50	प्रति हजार	5	2445	जॉबदर
10	फेंसिंग गड्ढे खुदाई (30x30x45xcm) अंतराल 3x3 मीटर पर पथरीले चट्टानी क्षेत्र	2068	गड्ढा	3.80	प्रति सौ	79	37170	जॉबदर
11	पोल्स फिक्सिंग मजदूरी (1:3:6) 30x30x45x संख्या	83.75	घ.मी.	3890.00	प्रति घ.मी.	689	325803	PWD SOR
12	चैनलिंग क्रय 1.5 मीटर की ऊंचाई (7755 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर अनुमानित बजान 1.5 कि.ग्रा. से 11632.50 कि.ग्रा.)	11632.5	कि.ग्रा.	100.00	प्रति कि.ग्रा.	2459	1163250	निविदा दर
13	सीमेंट पोलस क्रय 1.8 मीटर उंचाई के	2068	पोल	276.00	प्रति पोल	1207	570768	निविदा दर
14	बारबेड वायर क्रय कार्य	3102	कि.ग्रा.	100.00	प्रति कि.ग्रा.	656	310200	निविदा दर
15	जीआई बाइंडिंग वायर / फिक्सिंग नेल्स	776	कि.ग्रा.	87.72	प्रति कि.ग्रा.	144	68027	बजार दर
16	सीमेंट पोलस परिवहन वृक्षारोपण क्षेत्र में	2068	पोल	15.00	प्रति पोल	66	31020	बजार दर
17	बारबेड वायर खिंचाई कर चैनलिंग फेंसिंग खिंचाई कार्य	5170	र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	827	391266	जॉबदर
18	मुख्य गेट निर्माण:- पिलर निर्माण कर लोहे का गेट लगाना साईड वॉल सहित	1	नग	Ls	Ls	75	35475	Ls
19	सुरक्षा कुटीर निर्माण कार्य	1	नग	Ls	Ls	50	23650	Ls
फेंसिंग कार्य योग						6255.97	2959074	
योग क्षेत्र तैयारी एवं फेंसिंग कार्य						11152.66	5275206	

20	भू-जल संरक्षण कार्य अधिकतम 25 प्रतिशत							
	1) परवपूलेसन पिट निर्माण कार्य - साईज 5X2X1.5 = 15 घ.मी. X 129 RS per cmt (PWD RATE) = 1935/- per pit	50	पिट	1935	प्रति पिट	205	96750	जॉबदर
	2) कन्दूर ट्रेच चिन्हांकन एवं खुदाई कार्य (कठोर मिट्टी/गुरुम) 3.00X0.45X0.45 Mt.	300	ट्रेन्च	0.48	प्रति ट्रेन्च	144	68112	जॉबदर
	3) परवपूलेसन टैंक निर्माण कार्य - साईज 15X10X1.5 = 225 घ.मी. X 129 RS per cmt (PWD RATE) = 29025/- per tank	15	टैंक	29025	प्रति टैंक	920	435375	जॉबदर
	योग भू-जल संरक्षण कार्य					1269.00	600237	
	कुल योग					12422	5875443	

दर प्रति दिवस	520	
रोपण क्षेत्र	50.000	हैक्ट0

योजना का द्वितीय वर्ष 2027-28 (रोपण वर्ष)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	रोपणी कार्य							
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	50000	पौधे	15	प्रति पौधा	1441	750000	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10 प्रतिशत	5000	पौधे	15	प्रति पौधा	144	75000	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	55000	पौधे	1.5	सैकड़ा	825	429247.5	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	50000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	200	104060	जॉबदर
	रोपण							
4	0.30x0.30x0.30 cm.	30000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	450	234135	जॉबदर
	0.45x0.45x0.45 cm.	20000	गड्ढे	1.8	प्रति सैकड़ा	360	187308	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	50000	गड्ढे	1.25	100	625	325187.5	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	50000	गड्ढे	1	100	500	260150	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	50000	गड्ढे	1	100	500	260150	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	गड्ढे	0.6	प्रति सैकड़ा	300	156090	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
9	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	9523	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	Km	2.25	किमी	37	19187	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2x9			468	243500.4	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई 50000 पौधे x15 ली.प्र.पौधा = 750000 ली./5000 ली.प्र.टेंकर =150 टेंकर x5बार (नवम्बर से मार्च तक माह में एक बार)	750	टेंकर	1000	प्रति टेंकर	1441	750000	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	52030	अनुमानित
	योग:-					7410	3855568	

दर प्रति दिवस	572	
रोपण क्षेत्र	50.000	हैक्ट0

योजना का तृतीय वर्ष 2028-29

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (20 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	10000	पौधे	15	15/-प्रति पौधा	262	150000	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	10000	पौधे	1.5	100	150	85850	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	10000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	40	22893	जॉबदर
3	चेनलिक फॉसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	5170	र.मी.	LS	LS	207	118472.31	अनुमानित
	प्रथम निंदाई							
4	मृत पौध बदलाई	10000	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	150	85850	जॉबदर
	पौधों में	40000	गड्डे	1.25	100	500	286165	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	50000	गड्डे	1	100	500	286165	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	50000	गड्डे	1	100	500	286165	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	गड्डे	0.6	सैकड़ा	300	171699	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
8	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	10475	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	Km	2.25	किमी	37	21106	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			624	357133.92	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई 50000 पौधे x 15 ली.प्र.पौधा = 750000 ली./5000 ली.प्र.टैंकर = 150 टैंकर x 5 बार (अप्रैल से जून तक एवं फरवरी से मार्च माह में एक बार)	750	टैंकर	1000	प्रति टैंकर	1310	750000	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	57233	अनुमानित
योग:-						4699	2689206	

दर प्रति दिवस	630	
रोपण क्षेत्र	50.000	हैक्ट0

योजना का चतुर्थ वर्ष 2029-30

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5000	पौधे	15	15/-प्रति पौधा	119	75000	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	5000	पौधे	1.5	100	75	47217	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5000	पौधे	0.4	सैकड़ा	20	12591	जॉबदर
	प्रथम निंदाई							
3	मृत पौध बदलाई	5000	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	75	47217	जॉबदर
	पौधों में	45000		1.25	100	563	354129	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	50000		1	100	500	314782	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
5	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	11522	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	Km	2.25	किमी	37	23217	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	392847.31	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50	31478.15	अनुमानित
योग:-						2081	1310001	

						दर प्रति दिवस	693	
						रोपण क्षेत्र	50	हैक्ट0
क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2030-31								
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निंदाई							
	पौधा में	50000		1.25	100	625	432825	जॉबदर
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	3.35 / किमी	18	12675	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	km	2.25	2.25 / किमी	37	25538	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	432132.04	अनुमानित
4	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50	34625.965	अनुमानित
	योग:-					1354	937795	

दर प्रति दिवस	762	
रोपण क्षेत्र	50	हैक्ट0

योजना का षष्ठम वर्ष 2031-32

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	13942	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	Km	2.25	किमी	37	28092	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			624	475345.25	अनुमानित
	योग:-					679	517379	

दर प्रति दिवस	838	
रोपण क्षेत्र	50	हैक्ट0

योजना का सप्तम वर्ष 2032-33

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फोसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	5170	र.मी.	LS	LS	207	173455.31	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	15336	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	km	2.25	किमी	37	30901	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			312	261439.89	अनुमानित
	योग:-					574	481133	

दर प्रति दिवस	922	
रोपण क्षेत्र	50	हैक्ट0

योजना का अष्टम वर्ष 2033-34

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	16870	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	km	2.25	किमी	37	33991	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			312	287583.87	अनुमानित
योग:-						367	338445	

दर प्रति दिवस	1014	
रोपण क्षेत्र	50	हैक्ट0

योजना का नवम वर्ष 2034-35

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	18557	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	km	2.25	किमी	37	37391	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			312	316342.26	अनुमानित
योग:-						367	372290	

दर प्रति दिवस	1115	
रोपण क्षेत्र	50	हैक्ट0

योजना का दशम वर्ष 2035-36

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	20412	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	km	2.25	किमी	37	41130	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			312	347976.49	अनुमानित
योग:-						367	409519	

दर प्रति दिवस	1227	
रोपण क्षेत्र	50	हैक्टर

योजना का ग्यारवा वर्ष 2036-37

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5.5	Km	3.35	किमी	18	22454	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	16.4	km	2.25	किमी	37	45243	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			312	382774.14	अनुमानित
योग-						367	450470	

गोश्वारा

वर्ष	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)		प्रस्तावित मानव दिवस 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक सहित	प्रस्तावित (मानव दिवस) अनुसार राशि
प्रथम	2026-27	12422		12422	5875443
द्वितीय	2027-28	7410		8151	3855568
तृतीय	2028-29	4699		5685	2689206
चतुर्थ	2029-30	2081		2770	1310001
पंचम	2030-31	1354		1983	937795
षष्ठम	2031-32	679		1094	517379
सप्तम	2032-33	574		1017	481133
अष्टम	2033-34	367		716	338445
नवम	2034-35	367		787	372290
दशम	2035-36	367		866	409519
ग्यारवा	2036-37	367		952	450470
Total		30688		36442	17237249
योजना का प्रति हैक्टर व्यय					344745

		कुल राशि	प्रति हैक्टर व्यय
I	आस्था मूलक कार्य 5 प्रतिशत	861862	15775
II	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	172372	3155
III	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 4 प्रतिशत	689490	12620
B	Total (I + II + III)	1723725	31551
C	(A+B)	18960974	347061

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आष्टा

उपवन मंडलाधिकारी
उपवनमण्डल सीहोर (सा0)

वन मंडलाधिकारी
वनमण्डल सीहोर (सा0)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए चयनित यह वनक्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आष्टा

उपवन मंडलाधिकारी
उपवनमण्डल सीहोर (सा0)

वन मंडलाधिकारी
वनमण्डल सीहोर (सा0)

—: उपचार का विवरण :—

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 50000

2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	30000	01	45	3-4
आंवला	5000	01	45	3-4
खमेर	5000	01	45	3-4
बांस	3000	01	45	3-4
महुआ	3000	01	45	3-4
बहेड़ा	2000	01	45	3-4
गुलर	1500	01	45	3-4
बरगद (बड़)	300	01	45	3-4
हल्दु	100	01	45	3-4
पाकर	50	01	45	3-4
तिनसा	50	01	45	3-4
योग	50000	—	—	—

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर आवश्यकता अनुसार परक्यूलेशन टैंक एवं परक्यूलेशन पिट का निर्माण किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।

4. क्षेत्र की सुरक्षा :— वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।

5. पुर्नउत्पादन सफाई :— क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पौधों की निंदाई गुड़ाई एवं सुरक्षा का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से कराया जावेगा।

6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :— क्षेत्र में लेण्टाना न होने के कारण लेण्टाना उन्मूलन का कार्य नहीं किया जायेगा। रोपण उपरांत द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 03-03 बार एवं चतुर्थ वर्ष में 02 बार एवं पंचम वर्ष में 01 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा एवं द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में सिंचाई का कार्य भी किया जावेगा। चैनलिंग फेंसिंग से घरे गये क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले पौधों के अतिरिक्त समाजसेवियों, ग्राम वन समिति के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों की सहायता से जगह-जगह बीज रोपण का कार्य भी किया जावेगा।

7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।

8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष माह मई तथा अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डलाधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र आष्टा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु तैयार उपचार विवरण उपयुक्त है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल सीहोर (सा0)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु तैयार उपचार विवरण उपयुक्त है।


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सीहोर (सा0)

प्रस्तावित कार्यो का स्थल उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि पर कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल 54.633 हेक्टर वर्ष 2026-27 का निरीक्षण मेरे द्वारा परिक्षेत्र सहायक मेहतवाड़ा की उपस्थिति में किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में दर्शित क्षेत्र के आंकड़ों का मिलान मौके से होता है, प्रस्तावित क्षेत्र वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त एवं अतिक्रमण रहित है। प्रस्तावित रोपण क्षेत्र एवं प्रजातियों का चयन उचित है। अधीनस्थ अमले एवं स्थानीय ग्रामवासियों से चर्चा उपरान्त कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार रोपण कार्य प्रस्तावित किया गया है, जो स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आष्टा

स्थल निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि पर कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल 54.633 हेक्टर वर्ष 2026-27 का निरीक्षण मेरे द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी आष्टा एवं परिक्षेत्र सहायक मेहतवाड़ा की उपस्थिति में किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में दर्शित क्षेत्र के आंकड़ों का मिलान मौके से होता है, प्रस्तावित क्षेत्र वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त एवं अतिक्रमण रहित है। प्रस्तावित रोपण क्षेत्र एवं प्रजातियों का चयन उचित है। अधीनस्थ अमले एवं स्थानीय ग्रामवासियों से चर्चा उपरान्त कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार रोपण कार्य प्रस्तावित किया गया है, जो स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है।

उप वन मण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल सीहोर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि पर कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल 54.633 हेक्टर वर्ष 2026-27 हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा एवं उप वन मण्डलाधिकारी सीहोर द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।



वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल सीहोर

फैनसिंग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि पर कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल 54.633 हेक्टर वर्ष 2026-27 हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा एवं उप वन मण्डलाधिकारी सीहोर के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पत्थर उपलब्ध नहीं होने से पत्थर की दीवार बनाया जाना एवं क्षेत्र समतल नहीं होने से पशु अवरोध खंती खुदाई कार्य नहीं किया जा सकता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्र की सुरक्षा हेतु प्राक्कलन में चैनलिंग फैनसिंग कार्य प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र-आष्टा


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल सीहोर

सिंचाई हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि पर कैम्पामद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं आदेश क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर जिला सीहोर के खसरा नं. 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल 54.633 हेक्टर वर्ष 2026-27 हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा एवं उप वन मण्डलाधिकारी सीहोर के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होने से प्राक्कलन में सिंचाई का प्रावधान किया गया है क्योंकि “माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रखरखाव की अवधि उपरांत जीवित पौधों का न्यूनतम 75 प्रतिशत जीवित सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। सिंचाई का प्रावधान किये बिना जीवित पौधों का रखरखाव के अंतिम वर्ष में न्यूनतम 75 प्रतिशत जीवितता संभव नहीं है। अतः प्राक्कलन में सिंचाई का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र-आष्टा


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल सीहोर